भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2166

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

असम में मिशन शक्ति का कार्यान्वयन

2166. **श्री परिमल शुक्ला बैद्यः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा असम, विशेषकर कछार जिले, में वन स्टॉप सेंटरों, महिला हेल्पलाइनों तथा अन्य सहायता सेवाओं के कार्यकरण सहित मिशन शक्ति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान वन स्टॉप सेंटरों तथा महिला हेल्पलाइनों के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों की संख्या तथा उन्हें प्रदान की गई सहायता के स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिले में जागरूकता अभियान, पुनर्वास सेवाएं, बाल संरक्षण तंत्र तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय सहित महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उक्त जिले में वन स्टॉप सेंटरों, बाल देखभाल संस्थानों, परामर्श सेवाओं तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, पुनर्वास और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवन-चक्र के आधार पर कई तरह के उपाय अपनाए हैं ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में

बराबर की भागीदार बन सकें। 'वीमेन लेड डेवलपमेंट' का यह विज़न 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मज़बूत करना है। मिशन शक्ति में दो वर्टिकल अर्थात देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 'सामर्थ्य' हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन, व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत 'संबल' वर्टिकल के घटक हैं। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना देशभर में निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित एवं संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत एवं तत्काल सहायता एवं सहयोग देती है। वन स्टॉप सेंटर जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं देता है। वर्तमान में असम में 36 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं, जिनमें कछार जिले का एक केंद्र भी शामिल है। योजना की शुरुआत से 30 जून, 2026 तक असम सहित देशभर में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 15.20 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2023-24 से 2025-26 के दौरान इन ओएससी के माध्यम से कछार जिला सहित असम में 22,497 से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।

महिला हेल्पलाइन (181) आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं देती है। यह, एकल एक समान नम्बर (181) के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं को ईआरएसएस-112, वन स्टॉप सेंटर, बाल हेल्पलाइन (1098), पुलिस, अस्पतालों एवं कानूनी सहायता जैसी उपयुक्त सेवाओं से जोड़ने में मदद करती है। योजना की शुरुआत से 30 जून, 2026 तक असम सहित देशभर में 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2023-24 से 2025-26 के दौरान कछार जिला सहित असम राज्य में 37,361 से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।

केंद्र सरकार प्रत्येक ओएससी में 1 केंद्र प्रशासक, 2 केस वर्कर, 1 मनो-सामाजिक परामर्शदाता, 1 पैरा लीगल कार्मिक/वकील तथा 1 पैरा मेडिकल कार्मिक सहित कुल 13 मानव संसाधनों की नियुक्ति/भर्ती के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ओएससी योजना के समग्र कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की है।

मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर के कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण सत्रों के मानकीकरण हेतु भी कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए), सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) से मनो-सामाजिक परामर्श, लैंगिक आधारित हिंसा के मामलों के प्रबंधन, लैंगिक संवेदनशीलता तथा डैशबोर्ड संचालन पर तकनीकी सत्र आयोजित करने के लिए विशेषज्ञ स्रोत व्यक्तियों को शामिल किया जाता है ताकि कानूनी, चिकित्सीय और परामर्श सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जा सके।

तालमेल को सुदृढ़ बनाने और सहायता सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) के साथ एकीकृत किया गया है और अब तक 657 ओएससी का एकीकरण किया जा चूका हैं। इस एकीकरण के माध्यम से, महिलाओं को समयबद्ध और समन्वित तरीके से उपयुक्त सुविधा केंद्रों में भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस -112), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) तथा अन्य संबंधित सेवा प्रदायगी तंत्रों के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, ओएससी को शक्ति सदन के साथ भी एकीकृत किया गया है, ताकि दीर्घकालिक संस्थागत सहायता, पुनर्वास और सुरक्षित आवास की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए रेफरल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे मिशन शक्ति अवसंरचना के अंतर्गत देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ((पीएबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों की प्रगति की निगरानी करता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति एवं महिलाओं और बच्चों को सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के फील्ड दौरों के माध्यम से योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं। मंत्रालय ने मिशन शक्ति डैशबोर्ड भी विकसित किया है, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर मिशन शक्ति के अंतर्गत योजनाओं के संचालन की तत्समय (रियल टाईम) निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

मंत्रालय की योजनाओं, जिनमें मिशन शक्ति व्यापक योजना भी सम्मिलित है, का वर्ष 2020 तथा पुनः वर्ष 2025 में नीति आयोग के माध्यम से दो तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराए

गए हैं। इन अध्ययनों में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता तथा स्थिरता को संतोषजनक पाया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विधायी, संस्थागत एवं जागरूकता आधारित पहलों के माध्यम से बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न उपाय कार्यान्वित करता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 43 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दें। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 में आयु-उपयुक्त शैक्षिक सामग्री तैयार करने एवं उसका प्रचार-प्रसार, बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सहित रिपोर्टिंग तंत्र तथा बच्चों के साथ कार्य करने वाले कार्मिकों के समय-समय पर पुलिस सत्यापन एवं संवेदनशीलता प्रशिक्षण का भी प्रावधान है।

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को बाल सुरक्षा संबंधी विषयों यथा बाल लैंगिक शोषण, बाल दुर्व्यापार, बाल विवाह, बाल श्रम, ऑनलाइन सुरक्षा एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा के अन्य रूपों पर जागरूकता सृजन, प्रचार-प्रसार, सामुदायिक पहुंच एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। बाल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने तथा विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू), बाल देखरेख संस्थाओं (सीआई), विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेडीपीयू) एवं अन्य हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मंत्रालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में भी जागरूकता अभियान चलाए हैं जिनमें व्यापक पहुंच के लिए लघु फिल्में, श्रव्य-दृश्य सामग्री पोस्टर तथा क्षेत्रीय भाषाओं में आई.ई.सी. सामग्री प्रदर्शित की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों, पुलिस, बाल संरक्षण कार्मिकों एवं अन्य हितधारकों के मध्य संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत क्षेत्रीय सम्मेलन, प्रसार कार्यशालाएं, क्षेत्रीय संगोष्ठियां एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

इसके अलावा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में एक समन्वित बाल संरक्षण फ्रेमवर्क का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू) जिला-स्तरीय समन्वय अभिकरणों के रूप में कार्य करती हैं तथा

राज्य बाल संरक्षण सोसायटियां (एससीपीएस) राज्य स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। संबंधित विभागों के मध्य तालमेल को सुदृढ़ करने तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का प्रभावी संरक्षण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी, समीक्षा बैठकें, निरीक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधी पहलें की जाती हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की यह ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भारत के संविधान और बच्चों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) में उल्लिखित बाल अधिकारों के अनुरूप हों। यह बच्चों की दुर्व्यापार से रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पहल के तौर पर "बाल दुर्व्यापार से आज़ादी" अभियान संचालित कर रहा है।

अभियान की विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

i) इस अभियान के तीन चरणों में क्रमशः 75, 100 और 200 सीमावर्ती और उनके निकटवर्ती जिलों को शामिल किया गया है।

ii) यह ज़िला स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने वाली कार्यशालाओं का अभियान है, जिसमें ज़िला प्रशासन, पुलिस, एएचटीयू, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, श्रम और शिक्षा विभाग, रेलवे अधिकारी, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाएँ शामिल हैं।

iii) बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को दुर्व्यापार के संकेतों, सुरक्षित प्रवास और रिपोर्टिंग के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसमें स्थानीय अधिकारियों और एनजीओ के सहयोग से पहचाने गए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों तक पहुँचना भी शामिल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नाम की एक केंद्र-प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को विभिन्न सेवाएँ देना है। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआई) अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बच्चों को आयु उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि सुविधाएँ देती हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत, बच्चों को प्रायोजन, पालक देख-रेख, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखरेख के ज़रिए सहायता दी जाती है। यह योजना संकटग्रस्त परिस्थितियों में बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के ज़रिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएँ (24x7x365) भी देती है। यह हेल्पलाइन गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 हेल्पलाइन से जुड़ी हुई है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और उनके सहयोग से एक एकीकृत 'मिशन वात्सल्य पोर्टल' बनाया है। लापता/पाए गए बच्चों के लिए 'ट्रैक चाइल्ड' पोर्टल और लापता/देखे गए बच्चों के लिए 'खोया-पाया' एप्लीकेशन को इस एकीकृत 'मिशन वात्सल्य पोर्टल' के साथ जोड़ा गया है। 'ट्रैक चाइल्ड' मॉड्यूल को कई संबंधित हितधारकों, जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के सहयोग और भागीदारी से क्रियान्वित किया गया है। इस संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की गयी हैं। 'ट्रैक चाइल्ड' को क्रियान्वित करने के बारे में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके पुलिस महानिदेशकों सहित और अन्य संबंधित पक्षों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसे गृह मंत्रालय के 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम' (सीसीटीएनएस) के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे लापता बच्चों की एफआईआर का मिलान 'ट्रैक चाइल्ड' के डेटाबेस से किया जा सकता है और संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस लापता बच्चों की संख्या का मिलान और उनका पता लगा सकती है। इसके अतिरिक्त, 'खोया-पाया' मॉड्यूल के ज़रिए कोई भी नागरिक किसी लापता या देखे गए बच्चे के बारे में जानकारी दे सकता है।
